भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4106
25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः- हरियाणा में एम.एस.पी. पर फसल खरीद के लिए आवंटित धनराशि
4106. कुमारी सैलजाः
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) विगत दस वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष हरियाणा में एम.एस.पी. पर फसल खरीद के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या केंद्र सरकार ने एम.एस.पी. को कानूनी दर्जा दिया है अथवा यह कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर फसलों की खरीद के लिए राज्य-वार फंड आवंटित नहीं किया जाता है। इसके स्थान पर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा के एम.एस.पी. संचालन में हुए नुकसान, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से करता है। इसके अतिरिक्त, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डी.एफ.पी.डी.) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पी.एम.जी.के.ए.वाई.) के तहत खाद्यान्न वितरण के बाद विकेंद्रीकृत खरीद (डी.सी.पी.) मोड को चुनने वाले राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करता है। चूंकि, हरियाणा एक गैर-डी.सी.पी. राज्य है, इसलिए डी.एफ.पी.डी. द्वारा हरियाणा को कोई खाद्य सब्सिडी जारी नहीं की जा रही है।

(ख): भारत सरकार, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद दोनों फसल मौसमों में प्रत्येक वर्ष उचित औसत गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) की 22 प्रमुख कृषि वस्तुओं के लिए एम.एस.पी. की घोषणा करती है। इसके अतिरिक्त, रेपसीड व सरसों और खोपरा के एम.एस.पी. क्रमशः तोरिया और डी-हस्क्ड नारियल के लिए एम.एस.पी. तय करने का आधार है। वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में उत्पादन की लागत के कम से कम डेढ़ गुना के स्तर पर एम.एस.पी. रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने कृषि वर्ष 2018-19 से उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत की वापसी के साथ सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एम.एस.पी. में वृद्धि की थी। इसके अतिरिक्त संपूर्ण बाजार, वर्तमान एम.एस.पी. और सरकार के खरीद कार्यों पर प्रतिक्रिया देता है जो विभिन्न अधिसूचित फसलों के लिए एम.एस.पी. पर या उससे ऊपर निजी खरीद के लिए बाजार को बाध्य करता है।

सरकार, भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) और राज्य एजेंसियों के माध्यम से धान और गेहूं के लिए मूल्य समर्थन प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रकार के पोषक अनाज (मिलेट) और मोटे अनाज, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा एफ.सी.आई. के परामर्श से खरीदे जाते हैं, ताकि संबंधित राज्य सरकारें लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) के साथ-साथ अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओ.डब्ल्यू.एस.) के तहत वितरण के लिए उनका उपयोग कर सकें। जब भी फसल कटाई के चरम समय में कृषि वस्तुओं के बाजार मूल्य अधिसूचित एम.एस.पी. से नीचे आ जाते हैं, मूल्य समर्थन योजना को एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के एक घटक के रूप में निर्धारित अवधि के भीतर लागू किया जाता है ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान किया जा सके। निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) के अनुरूप अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सी.एन.ए.) जैसे नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव लिमिटेड (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एन.सी.सी.एफ.) द्वारा राज्य स्तरीय एजेंसियों के माध्यम से पूर्व पंजीकृत किसानों से सीधे एम.एस.पी. पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने खरीद वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% के बराबर पी.एस.एस. के तहत **तुअर (अरहर), उड़द और मसूर की खरीद** की अनुमति दी है। केंद्रीय नोडल एजेंसियां पी.एस.एस. के तहत नेफेड की ई-समृद्धि पोर्टल और एन.सी.सी.एफ. की ई-संयुक्ति पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से 100% **तुअर (अरहर), उड़द और मसूर** की खरीद करेंगी। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा कपास और जूट की खरीद क्रमशः भारतीय कपास निगम (सी.सी.आई.) और भारतीय जूट निगम (जे.सी.आई.) के माध्यम से एम.एस.पी. पर की जाती है।

सरकारी एजेंसियों द्वारा एम.एस.पी. पर प्रभावी खरीद करने और किसानों को एम.एस.पी. का अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए, उत्पादन, मार्केटेबल सरप्लस, किसानों की सुविधा और अन्य लॉजिस्टिक्स/इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे भंडारण और परिवहन आदि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों और केंद्रीय नोडल एजेंसियों जैसे नेफेड, एन.सी.सी.एफ., एफ.सी.आई. आदि द्वारा खरीद केंद्र खोले जाते हैं। मौजूदा मंडियों और डिपो/गोदामों के अतिरिक्त, किसानों की सुविधा के लिए प्रमुख बिंदुओं पर बड़ी संख्या में खरीद केंद्र भी स्थापित किए गए हैं।

*****